इस के ऊपर कालिंग अटेंशन दिया था। आज उन के मरने जीने का प्रश्न है। उन के लिए दवाइयां नहीं, पढ़ने के लिए किताब नहीं, ओढ़ने को कम्बल नहीं, रहने को मकान नहीं, कुछ भी उन के पास नहीं। ऐसी परिस्थिति के अन्दर क्या भारत सरकार केवल 200 रुपये साल में उनको मकान के लिए देकर शांत बैठ जायेगी ? मैं निवेदन करूंगा कि सरकार उन के आवास की, उन के एजुकेशन की व्यवस्था करे और शीघ्रातिशीघ्र रिकवरी बन्द कर। मैं जानता हूं केवल एक मंत्री महोदय का यह काम नहीं हो सकता। सारा मंत्रिमंडल बैठकर इस के ऊपर जल्दी निश्चय करे और निश्चय कर के उन्हें नागरिकता का अधिकार दे दे ताकि वे पशुवत जीवन न बिता कर भारत के अन्य नागरिकों की तरह अपने पुरुषार्थ से ऊंची कक्षा सकें और दयनीय दशा में न रहें।

(iv) SALE OF SEVERAL THOUSAND EAST PAKISTAN REFUGEE WOMEN FROM MANA CAMP

SHRI SAMAR GUHA (Contai) : Sir, I want to draw the attention of the House through you to a very shocking and at the same time shameful affair that has been reported to the Chief Minister of West Bengal by a delegation of MLAs who were sent to Mana camp, Deoli camp and other different camps where the former East Pakistan refugees have been rotting for periods ranging from 7 to 15 years. Recently a group of MLAs was sent there to see the condition of the refugees in those camps. On the 17th, they and also 17 members of those refugee camps have made a representation to the Chief Minister of West Bengal wherein they have said that about 10,000 girls and women have been taken away from the Mana camp and other camps also and sold outside.

SHRI SHYAM NANDAN MISHRA (Begusarai) : What are the authorities doing ?

SHRI SAMAR GUHA : There are serious complains against the authorities. The girls and women have been subjected to shameful behaviour. There are reports against the police also that some of the girls were taken away and atrocities committed on them. You will remember, I raised this matter of the rotting conditions in which the refugees life in different camps for 7 to 15 years. 1,30,000 former East Pakistan refugees have been kept by the Government deliberately in Mana and other camps, from where it is very difficult for them to come here and get any information whatsoever. They cannot come to the cities and make complaints. All kinds of reports against the employees and some other agencies are also coming again and again. The Minister for Rehabilitation is not here. I want to make a humble suggestion through you to the Minister that he may make a statement on this matter. The report has come out in Ananda Bazar Patrika of 18th December and it has been submitted by responsible persons who visited the camps. I would humbly request the minister to enquire into the matter about the behaviour meted out, by the government employees and also many other agencies working there to the refugees who have been kept in Mana camp, Deoli camp and other camps in Dandakaranya. An enquiry should be made and a report presented here. The conditions in which the refugees are living are almost at a sub-human level. A team of Members of Parliament should visit these refugee camps and make a report to the Government about their condition and also the policy in regard to their rehabilitation. These refugees who met the Chief Minister of West Bengal made an appeal that they want to go to Andamans. The other day when I raised the matter, the minister said, they will not be sent to Andamans. Almost every session I have been bringing this matter to the attention of the House. The Government promised that they will be sent to Andamans, but the Minister said the other day that they will not be sent to Andamans. The areas have been cleared there and these refugees want to go there. I would again humbly submit, let the minister make an equiry about this report that has come out. Also, let him send a team of Members of Parliament to these refugee camps to see the conditions there and make a report and also submit a report about the policy and programme for their rehabilitation.

STATEMENT *RE* : APPOINTMENT BY INDIAN RED CROSS SOCIETY OF OFFICIALS ON A COMMITTEE TO DISTRIBUTE RELIEF MATERIALS

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री राजनारायण) : श्रीमन्, 24 जून,

[श्री राज नारायण]

1977 को रैड-क्रास के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न श्रीमती मृणाल गौरे ने यहां पर उठाये थे। इन का यह कहना सही है कि हम ने आश्वासन दिया था कि इस की जांच कराई जायेगी। अपने उस आश्वासन के मुताबिक हम ने जांच आरम्भ की और हम ने घर मंत्री को इस सम्बन्ध में लिखा कि सी० बी० आई० के द्वारा इस की जांच कराई जाए। सी०बी० आई० के अधिकारी गये लेकिन अन्त में सी० बी० आई० के अधिकारियों ने मुझ को यह सूचित किया कि क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था है, इसलिए इस की इंक्वायरी सी० बी० आई० के द्वारा नहीं की जा सकती। फिर हम ने घर मंत्री को कहा कि आखिर इस की जांच की कोई न कोई व्यवस्था होनी चाहिए। सी० बी० आई० और अन्य लोगों ने कहा कि इंटेलीजेन्स ब्यौरो के जरिये जांच कराई जा सकती है। उस में भी थोड़ा विलम्ब हुआ। तो हम ने एक और रास्ता निकाला कि कम से कम हमारा स्वास्थ्य विभाग, कितना रुपया उस ने रेड क्रास को दिया है, उस रुपये की तो इंक्वायरी करा ही सकता है। उस इंक्वायरी को करते समय जो चीजें मिल जाएंगी, तो इस सम्बन्ध में और ज्यादा चीजें बढ़ जाएंगी। तो सदन को जो मैंने आश्वासन दिया था, इन लिमिट हम ने उस के मुताबिक तत्कालीन कदम उठाए थे, यह मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय): अब इस में आप क्या कर रहे हैं।

श्री राज नारायण: उसी पर मैं आ रहा हूं। क्या इन के प्रश्न थे। एक तो इन का प्रश्न यह था कि जो इंक्वायरी की बात की गई थी, उसमें फरदर कार्यवाही क्या हुई। फरदर कार्यवाही यह हुई कि जो रेडक्रास के चेयरमैन थे, वे जो अन्तर्राष्ट्रीय रेडक्रास सम्मेलन हो रहा था, मुल्कों का, उस में चले गये थे। इसलिए इस में थोड़ा सा विलम्ब हुआ उन के वहां रहने से। जब वे वहां से लौट कर आए, तो उन की तरफ से यह आफर आया कि वे स्वतः जांच कराने के लिए तैयार हैं और जांच होने के बाद यह पाया गया कि रेड क्रौस की तीन कारें हैं, डी०एच० ई० 8658, डी० एच० बी० 6141 और डी० एच० सी० 8295। इन का कहना था कि इन पर से रैडक्रास का चिन्ह हटा दिया गया। मंगाया गया था रेड क्रौस का कह कर ताकि कस्टम ड्यूटी खत्म हो जाए मगर बाद में रेड क्रौस का चिन्ह हटा दिया गया और वे पर्सनल स्टाफ कार की तरह से इस्तेमाल की जाने लगीं। एक तो यह चार्ज था।

दूसरा कहना यह है कि कुछ रेलवेज ने रेड क्रौस वालों को इधर उधर आने जाने की सहूलियतें दी हैं और उस में उन्होंने उन का काफी दुरुपयोग किया है। तो हम ने रेलवे मंत्री जी से रिक्वेस्ट की है कि वे इस की जांच कर लें कि इसमें कुछ दुरुपयोग हुआ है या नहीं। उस की जानकारी जब रेल मंत्रालय से मिलेगी, तो माननीय सदस्या और सदन को दे दी जाएगी।

अगली बात यह थी कि स्टेट बैंक के 8 चैक 52,000 रुपये के विदड्रा कर लिये गये और जो रुपया विदड्रा किया गया और इन का कहना था कि वह ठीक ढंग से नहीं हुआ है। इस के लीफलेट्स भी गायब हैं।

चौथा प्रश्न जो आज का था, वह यह था कि आंध्र प्रदेश के लिए जो रिलीफ कमेटी गई है, उन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन के ऊपर पहले से आरोप थे जबकि बंगला देश के समय रेड क्रौस के जरिये माल भेजा गया था और जिस की बाजार में बहुत गौहरत हुई थी। वह गलत ढंग से बेचा गया था और उस को बेच कर धन कमाया गया था। उनके बारे में इनका कहना था कि ऐसे लोग भी वहां पर गये थे क्या? इसके बारे में हमारा कहना यह है कि 26 तारीख को हमारे स्टेट मिनिस्ट

और एडीशनल सेकेटरी वहां जा रहे हैं जो जा कर के जांच करेंगे कि सचमुच में उनके जरिये से माल का वितरण हो रहा है या नहीं ।

श्री वसंत साठे (अकोला): मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने जो जांच करायी है, क्या आपको मालूम है कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्था जो रेडक्रास की है, उसने, खास कर बंगला देश में जो रेडक्रास का मामला हुआ, उस प्रकरण के बारे में उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जांच करा कर आपको एक खत लिखा कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जांच करायी है और उन्हें संतोष है कि कोई दुरुपयोग भारतीय रेडक्रास द्वारा नहीं हुआ है । क्या आपने वह खत देखा है ?

श्री राज नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि हमारे स्टेट मिनिस्टर जा रहे हैं, एडीशनल सेकेटरी जा रहे हैं । वे जा कर यह जांच करेंगे कि आंध्र में, तामिलनाडु में, केरल में, रेडक्रास का जो माल गया है उसका समुचित रूप से वितरण हुआ है या नहीं ।

हमने एक अहतियाती कार्यवाही कर ली है कि आंध्र प्रदेश में जो रेडक्रास सोसायटी है वह स्वतः उस माल को वितरित करे जो माल यहां से जाए । यह उसकी जिम्मेदारी होगी ।

एक प्रश्न आया कि क्या हम स्टेट गवर्नमेंट के जरिये से मदद कर रहे हैं या नहीं ? जितनी भी मदद आंध्र ने मांगी, केरल ने मांगी, तामिलनाडु ने मांगी, वह सारी की सारी मदद भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल स्टोर आरगेनाइजेशन द्वारा दी गयी । इस आरगेनाइजेशन द्वारा आंध्र प्रदेश को 35 लाख, 9 हजार, 375 रुपये के मूल्य की रोगनाशी, कीटनाशी और वेक्सीन आदि दवाइयां भेजी गयीं । इसी आरगेनाइजेशन द्वारा अन्य राज्यों को भी दवाइयां भेजी गयीं जो कि तूफान से पीड़ित थे । इनका विवरण इस प्रकार है । तामिलनाडु 5 लाख, 61 हजार, 625 रुपये की दवाएं भुगतान आधार पर, लक्षद्वीप को 94,525 रुपये की दवाएं भुगतान आधार पर भेजी गयीं । केरल को हैजा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 25 हजार रुपये की दवाएं मुफ्त भेजी गयीं । जितनी भी मदद राज्य सरकारों ने हम से मांगी, वह सब हमने भेजी है । अब इनके सवालों में जो चौथी सवाल है....

श्री वसंत साठे : लेकिन जो करप्ट लोगों को दी गयीं ?

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर): मेरा जो करप्ट लोगों के लिए चार्ज है उसके बारे में आप बतायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसके बारे में कहा है कि जांच की जा रही है ।

श्री राज नारायण : आंध्र प्रदेश रेडक्रास सोसायटी आजकल वही इस सारे माल को वितरित कर रही है ।

श्रीमती मृणाल गोरे : क्या आप स्वतंत्र रूप से इस सब की जांच करायेंगे, इसका जवाब मुझे चाहिए ? वह जवाब दिया जाए ।

श्री राज नारायण : वहां जो मेनेजिंग बाड़ी है इंडियन रेड्क्रास सोसायटी की, उसने एक जांच बिठायी है । श्री सुबिमल दत्त जो कि पहले विदेश सचिव थे और भूतपूर्व केन्द्रीय सिविलेंस कमिश्नर भी रह चुके हैं, उन्हीं के अधीन यह जांच हो रही है । माननीय सदस्या को इस जांच से संतोष नहीं है । उनका तर्क है कि जिस मेनेजिंग बाडी के विरुद्ध आरोप है उसी मेनेजिंग कमेटी द्वारा जांच क्यों बिठायी गयी ? मैं सम्मानित सदस्या को इस अवसर पर इतना कहना चाहता हूं । अगर श्री दत्त की जांच

[श्री राज नारायण]

के बाद कोई ऐसी स्थिति रहती है कि और जांच कराने की आवश्यकता है तो और जांच करा ली जाएगी और छोड़ा नहीं जाएगा। उनके इस ग्वाइंट में लाजिक है, तर्क है कि जिस के विरुद्ध शिकायत हो वही जांच क्यों बिठाए । इस बात को मैं प्रधान मंत्री जी तथा और सब लोगों को बता दूंगा। सम्मानित सदस्य के अन्दर जो भाव है और सम्मानित सदस्यों के जो भाव है. . .

श्री बसन्त साठे : दत्त साहब को यहां की प्रोसीडिंग्ज भेज दें ।

श्री राज नारायण : भेज दी जाएंगी । प्रधान मंत्री, पूरी सरकार को इसकी जानकारी करा दी जाएगी ताकि कोई लेकूना न रहे ।

हमें किसी पद का लालच नहीं है । अगर अपने कर्तव्य के पालन में हमें कंडेमेंटली यह मालूम हो जाएगा कि बाधा पड़ रही है तो पद को किसी भी क्षण हम छोड़ सकते हैं. .

श्री बसन्त साठे : किस को धमकी दे रहे हैं ?

श्री राज नारायण : उनको आश्वासन देता हूं ।

श्री बसन्त साठे : हटने से उनको क्या सन्तोष हो जाएगा ?

श्री राज नारायण : उनको आश्वासन देना चाहता हूं ताकि उनके मन में शंका न रहे कि हमारे और मैनेजिंग बाडी के चेयरमैन के बीच में कोई सांठगांठ हो गई है और सांठगांठ के जरिये ऐसी चीज हुई है । इसको कृपा करके वह अपने मन से निकाल दें । हम दुलत्ती चलाने वाले नहीं है, हम सीधे चलने वाले ह, स्टेटफार्वर्ड हैं, जो सोचेंगे वही करेंगे जो कहेंगे वही करेंगे ।

14·15 hrs.

RESOLUTION *RE.* FIRST REPORT OF THE RAILWAY CONVENTION COMMITTEE

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : Sir, I beg to move :

"That this House approves the recommendations made in paras 5, 6, 7, 11, 14, 17 an 18 contained in the First Report of the Committee appointed to review the rate of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues as well as other ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance which was presented to Parliament on the 17th November, 1977.

That this House further directs that the action taken by Government on the recommendations made in this Report, should be reported to the Committee".

Sir, by a resolution passed by Parliament on the 15th January, 1976 in the Fifth Lok Sabha and on 20-1-76 in the Rajya Sabha, the recommendations contained in paras 4, 5, 15, 16, 17 and 23 of the Eleventh Report of the Railway Convention Committee, constituted in 1973, in the matter of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues as well as ancillary matters in connection with the Railway Finance and General Finance, were approved by Parliament with the further direction that the action taken by the Government on the other recommendations made in that Report, as well as in the Eighth and Ninth Reports, should be reported to the said Committee. The action taken on these reports has been duly advised to that Committee.

The recommendations made in the Eleventh Report of the Railway Convention Committee, as approved by Parliament, determined the rate of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues and other ancillary matters in respect of the financial year 1976-77.

With the dissolution of the Fifth Lok Sabha, the Railway Convention Committee constituted in 1973 became *functus officio*. On the constitution of the Sixth Lok Sabha, a resolution was passed by this House on 2nd August, 1977 and by the Rajya Sabha on 4th August, 1977 constituting a new Railway Convention Committee, consisting of 12 members from the Lok Sabha and 6 members from the Rajya Sabha. As the recommendations of this Committee in the matter of dividend payable by the Railway undertaking to General Revenues and other